न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :—254 / 2025

प्रार्थी:—

पेमाराम पुत्र सरेमल जाति माली निवसी मायलावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी:—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

श्री श्रवण जांगिड़ अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :—06.03.2026

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 242,343 व 350 रकबा क्रमशः 9.7017, 0.2765 व 0.5312 हैक्टेयर भूमि ग्राम महिलावास तहसील सिवाना में अवस्थित है उक्त भूमियों में प्रार्थी के पिता के फौतदगी का नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम ''पेमा पुत्र चिड़िया'' दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, गैस डायरी, बैक डायरी, परिचय पत्र, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी के वास्तविक नाम ''पेमाराम पुत्र सरेमल'' दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी का नाम का अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:42:26 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थी के वास्त[illegible] के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के [illegible]न में ग्राम पंचायत मायलावास द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जनआधार कार्ड, परिच[illegible] पत्र, पेनकार्ड, परिवार [illegible]कार्ड, मतदाता परिचय पत्र व गैस डायरी आदि प्रस्तुत किये ।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''पेमाराम पुत्र सरेमल'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 242, 343 व 350 रकबा क्रमशः 9.7017, 0.2765 व 0.5312 हैक्टेयर भूमि ग्राम मायलावस तहसील सिवाना में प्रार्थी का नाम ''पेमा पुत्र चिडिया'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के ग्राम पंचायत मायलावास द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जनआधार कार्ड, परिचय पत्र, पेनकार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र व गैस डायरी आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''पेमाराम पुत्र सरेमल'' दर्ज है,किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''पेमा पुत्र चिडिया'' करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी।तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''पेमाराम पुत्र सरेमल'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 242, 343 व 350 रकबा क्रमशः 9.7017, 0.2765 व 0.53129 हैक्टेयर भूमि ग्राम मायलावास तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम '' पेमा पुत्र चिडिया ''के स्थान पर ''पेमाराम पुत्र चिडिया उर्फ सरेमल'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:42:26 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 06.03.2026 को खुले इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)